न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/132/2023 ऑनलाईन नम्बरः– 2023/328 प्रवेश तिथिः–07.07.2023

01. हरसहाय पुत्र श्री नारायण आयु 80 वर्ष जाति मीना निवासी जरासी की ढाणी बसावा तहसील बसावा जिला दौसा। .....वादी

बनाम्

1. रमेश पुत्र श्रवण आयु 48 वर्ष।
2. कमलेश पुत्र श्रवण आयु 45 वर्ष।
3. नहनी देवी पत्नी रमेश आयु 45 वर्ष।
4. लाडबाई पत्नी कमलेश आयु 40 वर्ष।
5. मनीष पुत्र कमलेश आयु 22 वर्ष।
6. योगेश पुत्र कमलेश आयु 20 वर्ष।
7. हरिसिंह पुत्र रमेश आयु 24 वर्ष।
8. भूपेन्द्र पुत्र रमेश आयु 22 वर्ष समस्त जतियान मीना निवासीयान ग्राम धौलान कला गुवाडा तहसील टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 व बाबत् बेदखली अर्न्तगत धारा 183
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री सीताराम वशिष्ठ एड0– वादी

–:निर्णयः– **दिनांकः–12/01/2026**

1. आज पत्रावल वास्ते निर्णय पेश हुई। सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 78, खसरा नम्बर 8/0.42 है0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी की कब्जे व खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी के वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.08.2006 को खरीद किया है। वक्त खरीद ही से मिन वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा वादी के द्वरा उक्त आराजी के दक्षिण दिशा को छोडकर कच्चे पत्थरों की दीवार की हुई है। वादी काश्तकार पेशा व्यक्ति है। तथा उक्त आराजी से होने वाली पैदावार से ही पूर्ण रूपेण निर्भर है। और विवादीत आराजी से प्रतिवादीगण का को कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण का कब्जा हटाते हुये उक्त आराजी पर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर आराजी के मूल स्वरूप मे कोई परिवर्तन न करें, ना ही दीगर शख्सों का कब्जा कराये, ना ही दखल मिलने के उपरान्त उक्त आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर निर्माण कार्य करें, ना ही वादीगण के साथ उक्त आराजी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

2. वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

साक्ष्य वादी हेतु रामकिशोर पुत्र हरसहाय शपथ पत्र पेश किया गया जिसके बयान लेखबद्ध किये गये। ो शामिल मिशल है। साक्ष्य शपथ–पत्र में उनके द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की।

. वादी ने अपने वाद पत्र के सम्बंध में दस्तावेज पेश किये गये जो निम्नानुसार है–
– जमाबंदी सम्वत 2070–75 प्रदर्श–1
–बैयनाम दिनांक 28.06.2006 प्रदर्श–2

. इस के उपरान्त बहस वकील वादी एकतरफा में सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि हाल आराजी खाता संख्या 78, खसरा नम्बर 8/0.42 ई0 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादीगण की कब्जेकास्त फीखातेदारी की आराजी है विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नही है। वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 28.08.2006 को खरीद कि गई है। प्रतिवादीगण का कब्जा हटाते हुये उक्त आराजी पर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर आराजी के मूल स्वरूप मे कोई परिवर्तन न करें, ना ही दीगर शख्सों का कब्जा कराये, ना ही दखल मिलने के उपरान्त उक्त आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर निर्माण कार्य करें, ना ही वादीगण के साथ उक्त आराजी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्व करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

<u>स्थाई निषेधाज्ञा</u>–*मुतनाजा आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादी का अधिकार वैध व घोषित होना चाहिये। वादी के पक्ष में स्वीकार होने पर यह पूर्वशर्त सन्तुष्ट होती है।*

<u>कब्जा</u>–*मुतनाजा आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होना अनिवार्य है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का मुतनाजा आराजी पर कब्जा स्पष्ट है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी सन्तुष्ट होती है।*

<u>अपूरणीय क्षति</u>– *वादी ने अपने वाद में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी सन्तुष्ट होती है।*

7. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

(1.) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कोई विपरीत बात अन्तर्विष्ट होते हुये भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है उस व्यक्ति या उक्त बेदखली करने के हकदार है, उपधारा (2) के उपबन्धो के अधीन रहते हुये, बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसने उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देने का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुनी तक हो सकती है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

(2.) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956 (राज0एक्ट0 15 सन् 1956) की धारा 91 के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

9. मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण एवं वाद पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी का खातेदार है तथा मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2070–75 आराजी खाता संख्या 78 खसरा संख्या 8/0.42 वाके ग्राम धौलान तहसील टहला से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है तथा वादी का यह कथन भी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग मे व्यवधान किया जाता है। या उस पर निर्मित निर्माण को तोड–फोड किया जाता है तो वादी को स्पष्ट रूप से ना पूर्ति होने वाली क्षति साबित है। क्योकिं प्रतिवादी का मुताबिक रिकार्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नही है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ में दखलयाबी बहक्क वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा 183 दखलयाबी बहक्क व 188 वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 8/0.42 वाके ग्राम धोलान तहसील टहला जिला अलवर *स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला जिला अलवर आदेश दिये जाते है कि वो उक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की उक्त आराजी में कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें, उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार टहला को भिजवाई जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री बनाई जावे।*

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

अनुवानी प्रकरणः— हरसहाय बनाम रमेश वगै0
मुकदमा संख्याः—01/132/2023
निर्णय तिथिः—12.01.2026

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :— 01/132/2023 ऑनलाईन नम्बरः— 2023/328 प्रवेश तिथिः—07.07.2023

1. हरसहाय पुत्र श्री नारायण आयु 80 वर्ष जाति मीना निासी जरासी की ढाणी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

.....वादी

वनाम्

1. रमेश पुत्र श्रवण आयु 48 वर्ष।
2. कमलेश पुत्र श्रवण आयु 45 वर्ष।
3. नहनी देवी पत्नी रमेश आयु 45 वर्ष।
4. लाडबाई पत्नी कमलेश आयु 40 वर्ष।
5. मनीष पुत्र कमलेश आयु 22 वर्ष।
6. योगेश पुत्र कमलेश आयु 20 वर्ष।
7. हरिसिंह पुत्र रमेश आयु 24 वर्ष।
8. भूपेन्द्र पुत्र रमेश आयु 22 वर्ष समस्त जतियान मीना निवासीयान ग्राम धौलान कला गुवाडा तहसील टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री सीताराम वशिष्ठ एड0— वादी

—:पर्चा डिक्री:—

दिनांकः—12/01/2026

दावा वादी अन्तगर्त धारा 183 दखलयाबी बहक्क व 188 वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 8/0.42 वाके ग्राम धोलान तहसील टहला जिला अलवर *स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला जिला अलवर आदेश दिये जाते है कि वो उक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की उक्त आराजी में कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें, उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार टहला को भिजवाई जावें।*

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/01/2026 को तैयार की गई।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर